@ shahjhanpurpol

प्रेस नोटः सराहनीय कार्य – दिनांक -09.11.2020

थाना खुटार पुलिस को मिली बडी कामयाबी अन्तर्जनपदीय गांजा तस्कर गिरोह के सरगना सहित कुल 12 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक **09.11.2020** को पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर एस0 आनन्द के कुशल नेतृत्व व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अपर्णा गौतम व क्षेत्राधिकारी पुवायां श्री नवनीत कुमार नायक के कुशल निर्देशन मे गठित टीम के सदस्य थानाध्यक्ष श्री जयशंकर सिंह,उ0नि0 श्री रतिराम सिंह, उ0नि0 श्री हरेन्द्र प्रताप सिह, उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह मय हमराह फोर्स के द्वारा सूचना मुखबिरी के आधार पर वाहन चैकिंग के दौरान अन्तर्जनपदीय गांजा तस्कर गिरोह के सरगना सहित कुल 12 अभियुक्त 1. अमरेश यादव 2. श्रीकिशन यादव 3. राधेश्याम रावत 4. शिवम वर्मा 5. दीपक यादव 6. ब्रजेश यादव 7. राम तेजसिंह 8. सूबेदार कश्यप 9. रामजीत वर्मा 10. महेन्द्र कुमार वर्मा 11. सर्वेश कुमार रावत 12. रितेष जायसवाल समस्त निवासीगण जनपद बाराबांकी को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त **महिन्द्रा KUV 100 वाहन** व लगभग **एक कुन्तल 30 किग्रा गांजा तथा 15 कुन्तल भांग, 11 अदद मोबाइल फोन** के साथ कठना नदी के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजा की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे लगभग 50 लाख रुपये बतायी जा रही है। अभियुक्तगणो के खिलाफ थाना हाजा पर **मु0अ0स0 537/20 धारा 8/20 NDPS Act** पंजीकृत कर न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः-

दौरान पूछताछ ज्ञात हुआ कि गिरोह का सरगना रितेष है जो कि अपने फरार साथी अश्वनि के साथ मिलकर जनपद शाहजहाँपुर , बरेली, हरदोई, पीलीभीत, लखनऊ व सीतापुर , लखीमपुर खीरी मे अवैध गांजा का कारोबार करता है तथा गांजा मे भांग व नशीला कैमिकल मिलाकर 60 रु0 , 80 रु0 व 120 रु0 प्रति पुडिया के हिसाब से महंगे दामो पर बेचते है। हर जनपद मे इन्होने गांजा तस्करो का गिरोह बना रखा है जिसमे 15 से 20 लडके कैरियर की तरह काम करते है जो सुबह बैग मे माल लेकर भांग की दुकानो व बिक्री की अन्य जगहो पर देते है तथा शायं तक बिक्री का पैसा लेकर वापस आ जाते है। पहले यह लोग गांजा मंगाकर उसमे भांग व नशीला कैमिकल डालते है पुनः उसे खरीदी कीमत से लगभग 10 गुना दाम पर छोटी-छोटी पुडियो मे बेचते है। सभी लडको को गिरोह का सरगना 6000 से 7000 रु0 प्रति माह वेतन देता है। मुख्यतः यह लोग भांग की लाइसेंसी दुकानो से अपना धन्धा चलाते है। भांग के दुकानदारो को पैसो का लालच देकर वहा अवैध गांजा की बिक्री कराते है। भांग की दुकानो से गांजा बिक्री होने के कारण लोग इन पर शक नही करते है। कुछ जगहो पर यह लोग पान के खोखो तथा जनरल स्टोरो से भी अवैध गांजे की बिक्री का कार्य करा रहे है। यह लोग अड्डा बदल-बदल कर कार्य करते है ताकि पुलिस इनके अवैध कार्यो के बारे मे जानकारी ना कर सके। ज्यादातर शहर के बाहरी इलाको व नई कालोनियो मे एकांत मकान से अपनी गतिविधि चलाते है बीच - बीच मे सूनसान जगहो जैसे नदी के किनारे, जंगल के बीच तथा गन्ने की फसल के बीच मे भी अपना काम करते है इसी क्रम मे यह लोग पिछले 4 दिनो से शायं के समय अंधेरा होने के बाद 10 बजे रात्रि तक कठना नदी पुल के नीचे जंगल के किनारे सूनसान जगह से अपना काम कर रहे थे। मुखबिर की सूचना सर्विलांस व पुलिस सक्रियता के चलते वाहन चैकिंग के दौरान गिरोह का सरगना रितेष गोल्डन फ्लावर स्कूल गोला रोड के पास से शायं 19.35 बजे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसकी KUV 100 कार से लगभग एक कुन्तल गांजा व 50,000 रु0 नगद व 02 अदद मोबाइल फोन तथा इलेक्ट्रानिक कांटा बरामद हुआ, पूछताछ पर गैंग लीडर रितेष की निशा देही पर उसके गिरोह के अन्य 11 साथियो को कठना नदी के पुल के नीचे से लगभग 30 किग्रा0 गांजा पॉलीथीन व टार्च, सर्च लाइट तथा 15 कुन्तल भांग तथा 10 अदद मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि गिरोह का सरगना अपने जनपद बाराबांकी से बेरोजगार लडको को पैसे के लालच मे अपने गलत काम मे लगा लेता है और उन्हे धमकाता है कि यदि उन्होनें उसका काम छोडा तो वह उन लोगो को पुलिस से पकडवा देगा। इसलिये एक बार इसके चंगुल मे आये व्यक्ति डर के कारण इससे अलग नही हो पाते है। गिरोह के सरगना ने अपने अवैध धन्धे से कई लग्जरी चार पहिया गाडिया तथा महानगरो मे मकान व प्लाट ले रखे है जिसके सम्बन्ध मे जानकारी की जा रही है। बरामद भांग के सम्बन्ध मे ड्रग्स नारकोटिक्स विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना दे दी गयी है। गिरोह का सरगना रितेष TRC Law कालेज बाराबांकी से L.L.B के 5th Semester का छात्र भी है इन लोगो को माल की सप्लाई दिनेश जायसवाल व मुकेश जायसवाल निवासीगण बाराबांकी करते है। मुकेश जयसवाल व दिनेश जयसवाल जनपद बाराबांकी से भी अवैध गांजा के कारोबार मे तथा हत्या के प्रकरण मे जेल जा चुके है इसके अतिरिक्त रितेष तथा अश्वनि वर्ष 2019 मे थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर से NDPS Act के तहत जेल जा चुके है । अभियुक्तगण द्वारा अवैध गांजे के कारोबार से अर्जित की गयी सम्पत्ति के बारे मे जानकारी कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरणः-

1. अमरेश यादव S/O ननकू यादव नि0 ग्राम दन्नापुर थाना बदौसराय जिला बाराबंकी
2. श्रीकिशन यादव S/O सन्तशरण यादव नि0 ग्राम दन्नापुर थाना बदौसराय जिला बाराबंकी
3. राधेश्याम रावत S/O गया प्रसाद रावत नि0 ग्राम रेसन्ठा थाना कोठी जिला बाराबंकी
4. शिवम वर्मा S/O विन्दा प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम सैदपुर पुरैई थाना कोठी जिला बाराबंकी
5. दीपक यादव S/O रामू यादव निवासी ग्राम संदैवा थाना सफदरगंज जिला बाराबंकी
6. ब्रजेश यादव S/O हरिद्वार यादव निवासी ग्राम पूरेवैश थाना राम सहेनही घाट जि0 बाराबंकी
7. राम तेजसिंह S/O शिव बहादुर सिंह नि0 सिघौर थाना असन्दरा जिला बाराबंकी
8. सूबेदार कश्यप S/O राम समुज कश्यप निवासी सदैवा थाना सफदरगंज जिला बाराबंकी
9. रामजीत वर्मा S/O राकेश वर्मा निवासी ग्राम कान्ता पुरवा थाना जेतपुर जिला बाराबंकी
10. महेन्द्र कुमार वर्मा S/O राजेन्द्र प्रसाद वर्मा निवासी लौखडिया थाना रामसहनेही घाट जिला बाराबंकी
11. सर्वेश कुमार रावत S/O नत्था राम रावत नि0 ग्राम रैसन्ठा थाना कोठी जिला बाराबंकी
12. रितेष जायसवाल पुत्र हंसाराम निवासी Q/46 घन्टाघर थाना कोतवाली जिला वाराबंकी

बरामदगी का विवरणः-

1. एक कुन्तल 30 किग्रा गांजा तथा 15 कुन्तल भांग व 11 अदद मोबाइल फोन
2. एक महिन्द्रा KUV 100 कार
3. एक इलेक्ट्रानिक कांटा व दो टार्च व दो सर्च लाइट
4. 50,000 रु0 नगद

गिरफ्तार करने वाले टीम का विवरणः-

1.थानाध्यक्ष श्री जयशंकर सिंह थाना खुटार शाहजहांपुर
2- उ0नि0 श्री रतिराम सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
3- उ0नि0 श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
4- उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
5. हे0का0 जय प्रकाश सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर।
6. हे0का0 लवकुश थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
7. का0 विजयप्रताप सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर।
8. का0 सोनू कुमार थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
9. का0 अमित कुमार थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
10. का0 सुमित अत्री थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
11. का0 रोहित थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
12. का0 जरनैल सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
13. का0 मोहित कुमार थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।